महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण विकास योजनाएं

सुहास कुमार

"आज सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन बहुत तनावपूर्ण और संघर्षमय हो गया है। इसका बहुत बुरा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। खासकर समाज के निम्नवर्ग की महिलाओं व बच्चों पर क्योंकि वे इनको झेलने में पुरुषों की अपेक्षा अधिक कमज़ोर व अक्षम होते हैं।"

"महिलाएं कमज़ोर व अक्षम होती हैं" यह कहना सरासर गलत है। सच तो यह है कि सरकार की ज्यादातर योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कैसे योजनाओं को ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाया जाए। उन योजनाओं को लागू करने के पूरे अधिकार व ज़रूरी प्रशिक्षण के अवसर उन्हें दिए जाएं।

हर साल सरकार की ओर से महिला व बाल विकास योजनाओं के लिए पैसा निर्धारित किया जाता है। पिछले साल यानि 1992-93 की रपट के अनुसार महिलाओं संबंधी योजनाओं पर निर्धारित राशि का केवल 50 फी सदी से भी कम पैसा खर्च किया जा सका।

कामकाजी महिलाओं के होस्टल बनाने के लिए 6 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी। उद्देश्य था 80 और होस्टल बनाए जाएं जिनमें 3,400 कामकाजी महिलाएं रह सकें। जनवरी '93 तक केवल 13 ऐसे होस्टल बने थे जिसमें 969 महिलाएं रह सकती हैं।

"नोरेड" विकास संबंधी कार्यक्रमों में मदद देने वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। पैसा सरकार के द्वारा ही निर्धारित संस्थाओं को योजना लागू करने के लिए दिया जाता है। इसकी योजनाओं के तहत् महिलाओं को एलेक्ट्रानिक वस्तुओं, घड़ी बनाने, छपाई व ज़िल्द बनाने, हथकरघा आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके लिए रोज़गार के नए रास्ते खुलें। इसमें भी 4 करोड़ रु. की निर्धारित राशि में से केवल 1.90 करोड़ रु. जनवरी '93 के अंत तक 52 संस्थाओं को दिया गया था।

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा रोकने की शिक्षा एवं जागरूकता के लिए 25 लाख रु. की राशि में से केवल 9.32 लाख रु. की राशि 17 संस्थाओं को दी गई। रोज़गार प्रशिक्षण संबंधी योजना के लिए कुल राशि 11 करोड़ रु. में से केवल 1.55 करोड़ रु. 31 जनवरी '93 तक बांटी गई थी। (आंकड़े प्रकाशित पायनियर समाचार पत्र- 9.4.'93)

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत समाज सेवी संस्थाओं के लिए महिला व बाल विकास संबंधी योजनाओं की आवश्यक जानकारी नीचे दी जा रही है। ये संस्थाएं अपने क्षेत्र में इन योजनाओं का फायदा महिलाओं तक पहुंचा सकती हैं।

आवेदन-पत्र मंगाने एवं आवेदन-पत्र निम्न पते पर भेजें।

महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

एस टी ई पी योजना

महिलाओं के लिए रोज़गार व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एस. टी. ई. पी. नाम से एक योजना है। इसमें कृषि, लघु-स्तर पर पशुपालन, डेरी उद्योग, मछली पालन, हस्तकरघा, खादी तथा ग्रामोद्योग और रेशम के कीड़े पालन आदि कामों के लिए महिलाओं को सहायता दी जाती है।

इसको लागू करने वाली एजेंसियां हैं—केंद्रीय/राज्य सरकार के निगम/बोर्ड/परिसंघ/विश्वविद्यालय/समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (केन्द्रीय तथा राज्य दोनों), अन्य अर्ध-सरकारी एजेंसियां और ऐसी एजेंसियां जिन्हें सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों से धन प्राप्त होता हो।

लक्ष्य समूह—गरीब व संपत्तिहीन महिलाएं जैसे मज़दूरिनें, घर-परिवार में काम करने वाली अवैतनिक महिलाएं, घर की मुखिया महिलाएं, प्रवासी श्रमिक आदिवासी और अन्य गरीब महिलाएं।

परियोजना तैयार करना—स्थानीय परिस्थितियों, समूह की जरूरतों व क्षमताओं के हिसाब से परियोजना बनानी होगी। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी जानकारी आदि मसलों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें कौशल की नई तकनीकों, प्रबंध तथा बुनियादी हिसाब-किताब रखने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। कुछ कार्यशील पूंजी का इतंजाम भी किया जाएगा ताकि इसे उत्पादन बढ़ाने के काम में इस्तेमाल किया जा सके। हर परियोजना के लिए 90 फी सदी आर्थिक सहायता दी जाएगी। शेष 10 फी सदी की व्यवस्था स्वयं संस्था को करनी होगी।

परियोजना प्रस्ताव ऊपर दिए गए पते पर भेजें।

ट्राइसेम योजना

महिलाओं के लिए रोज़गार तथा आय उत्पादक प्रशिक्षण व उत्पादन इकाइओं की स्थापना करने के लिए ट्राइसेम योजना है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उन्हें स्थाई आधार पर रोज़गार दिलवाना है।

कार्यान्वयन एजेन्सियां—सरकारी उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय/ स्वयंसेवी संगठन।

लक्ष्य समूह—गांव की गरीब महिलाएं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाएं, सरकारी नौकरी व स्वायत्त निकायों में काम करने वालों की विधवाएं तथा शहरी झुग्गी-बस्तियों की महिलाएं।

सहायता की सीमा—

1. हर प्रशिक्षण पाने वाली महिला को छात्रवृत्ति अधिकतम 250 रु. तक दी जाएगी।
2. उपकरणों की लागत।
3. अनुदेशकों का वेतन।
4. इमारत का किराया।

आमतौर से कुल वित्तीय मदद 6000 रु. प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर 50 शिक्षार्शी हैं तो मदद 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। यह एजेंसी पर निर्भर करता है कि वह कुल सहायता को ऊपर लिखे चार घटकों में कैसे बांटे।

परियोजना की रूप रेखा बनाकर आवेदन ऊपर दिए गए पते पर भेजें।

अत्याचार रोकथाम की शिक्षा

महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए विशेष शिक्षा कार्य की योजना है। अत्याचार जैसे बलात्कार, दहेज के कारण मृत्यु, शराब पीकर पत्नी को पीटना, कमाई शराब में उड़ा देना, महिलाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए जागरूकता शिविर, शिक्षा का प्रचार और अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना।

स्वयं सेवी संगठन, विश्वविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान इस योजना को चला सकते हैं।

लक्ष्य समूह—ऐसी महिलाएं जो सम्पत्ति-विहीन कर दी गई हों। या जो अत्याचार और क्रूरता की शिकार हुई हों।

नीचे लिखे कामों के लिए मदद दी जाएगी।

1. इश्तहार, पत्रिकाएं और लेख आदि शिक्षाप्रद सामग्री के प्रकाशन के लिए
2. सर्वेक्षण
3. सर्वोत्तम फिल्म, नाटकों और कहानियों के लिए इनाम
4. फिल्म, पुस्तकों आदि के रूप में सूचना प्रसारण
5. सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित करना
6. सामाजिक कार्यकर्ताओं/मूल्यांकन करने वालों को मानदेय देना
7. प्रशिक्षण-कैम्प लगाना
8 कानूनी शिक्षा प्रशिक्षण कैम्प लगाना
9. कठपुतली के खेल या लोक नृत्यों जैसे पारंपरिक माध्यमों से चेतना जगाना
10. महिला विकास के प्रतिष्ठित केन्द्रों को 100 फी सदी मदद दी जाएगी। सहायता की मियाद एक वित्तीय वर्ष होगी।

आवेदन मिलते ही अनुदान की पहली किश्त दी जाएगी। दूसरी किश्त पहले 6 महीने के खर्चे व काम के आधार पर दी जाएगी। आवेदन परियोजना व दूसरे दस्तावेजों के काम संबंधित वर्ष की पहली जनवरी तक महिला एवं बाल विकास के ऊपर दिए गए पते पर भेजें।

इनके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवन का निर्माण/विस्तार, महिला विकास निगम बनाना, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान स्थापित करना, कामकाजी तथा बीमार माताओं के लिए शिशुगृह, दिवस देखभाल केन्द्र आदि योजनाएं भी हैं जिनके तहत् परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। □